

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का षष्ठम सत्र
दिनांक 29 जून, 2022

की

कार्य-सूची

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 425,30,00,000/- (चार सौ पच्चीस करोड़ तीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-5. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

6. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 161,76,11,000/- (एक सौ इकसठ करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 7-9. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

10. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 137,09,38,000/- (एक सौ सैंतीस करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 11-13. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

14. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 175,00,00,000/- (एक सौ पचहत्तर करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक-निर्वाचन विभाग

15. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

16. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,02,000/- (पचास लाख दो हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 17-18. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-09

आय-व्ययक शीर्षक-सहकारिता विभाग

19. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 20-21. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

22. प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3682,21,31,000/- (तीन हजार छः सौ बयासी करोड़ इक्कीस लाख इक्तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 23-26. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-11

आय-व्ययक शीर्षक-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

27. प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 127,23,00,000/- (एक सौ सत्ताईस करोड़ तेईस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 28-29. श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
- राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

- प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9354,61,00,000/- (नौ हजार तीन सौ चौवन करोड़ इक्सठ लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
- यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 31-32. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
- राज्य सरकार की वित्त विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-15

आय-व्ययक शीर्षक-पेंशन

33. प्रभारी मंत्री, पेंशन प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पेंशन" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 79,63,97,000/- (उनासी करोड़ तिरैसठ लाख सत्तानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

34. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पेंशन से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

35. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3613,01,69,000/- (तीन हजार छः सौ तेरह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 36-38. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य-कर विभाग

39. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य-कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/- (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 40-41. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

42. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1216,57,03,000/- (एक हजार दो सौ सोलह करोड़ सत्तावन लाख तीन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 43-45. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

46. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 62,83,95,000/- (बासठ करोड़ तिरासी लाख पंचानवे हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 47-49. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

50. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2414,99,86,000/- (दो हजार चार सौ चौदह करोड़ निन्यानवे लाख छियासी हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 51-54. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

55. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12013,86,33,000/- (बारह हजार तेरह करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 56-59. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

60. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 640,50,09,000/- (छः सौ चालीस करोड़ पचास लाख नौ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 61-62. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गृह विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

63. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 100,22,01,000/- (एक सौ करोड़ बाईस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 64-65. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की उद्योग विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

66. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 53,70,000/- (तिरपन लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 67-68. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की श्रम संसाधन विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

69. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 59,90,43,000/- (उनसठ करोड़ नब्बे लाख तैंतालीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

70. श्री ललित कुमार यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की विधि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

71. प्रभारी मंत्री, विधान मंडल प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,05,00,000/- (एक करोड़ पाच लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

72. प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 500,18,00,000/- (पांच सौ करोड़ अठ्ठाह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 73-74. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

75. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 48,47,34,000/- (अड़तालीस करोड़ सैंतालीस लाख चौतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 76-77. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

78. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/- (एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 79-80. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

81. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1400,00,01,000/- (चौदह सौ करोड़ एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 82-85. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

86. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 118,28,01,000/- (एक सौ अठ्ठाह करोड़ अठ्ठाईस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 87-88. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

89. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 426,45,01,000/- (चार सौ छब्बीस करोड़ पैतालीस लाख एक हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।
यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 90-93. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

94. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 70,22,61,000/- (सत्तर करोड़ बाईस लाख इकसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 95-96. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

97. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1000,00,00,000/- (एक हजार करोड़) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 98-101. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

102. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1796,34,00,000/- (एक हजार सात सौ छियाब्बे करोड़ चौतीस लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 103-105. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

106. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5,18,00,000/- (पाँच करोड़ अठ्ठाह लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 107-108. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

109. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 316,40,33,000/- (तीन सौ सोलह करोड़ चालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

110. श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

111. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 29,11,000/- (उन्तीस लाख ग्यारह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 112-113. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

114. **प्रभारी मंत्री**, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 49,00,000/- (उनचास लाख) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 115-116. **श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

117. **प्रभारी मंत्री**, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के 250,29,51,000/- (दो सौ पचास करोड़ उन्तीस लाख इक्यावन हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 118-120. **श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

121. **प्रभारी मंत्री**, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 218,13,50,000/- (दो सौ अठ्ठाह करोड़ तेरह लाख पचास हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 122-124. **श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-50

आय-व्ययक शीर्षक- लघु जल संसाधन विभाग

125. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 126-127. श्री ललित कुमार यादव एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-51

आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

128. प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3350,31,32,000/- (तीन हजार तीन सौ पच्चास करोड़ इक्तीस लाख बत्तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 129-131. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री विजय शंकर दूबे प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2022- 3254 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2022- 3254 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।




(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-06/2022- 3254 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 जून, 2022 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

